भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 670
03.02.2026 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना

670. **श्री बिप्लब कुमार देबः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार देशभर में विशेषकर त्रिपुरा में, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) एवं उनकी चार्जिंग अवसंरचना को राज्य-वार सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है;
(ख) यदि हाँ, तो इस पहल के समर्थन हेतु लागू की गई विशिष्ट नीतियों एवं कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने हेतु कोई राज सहायता अथवा प्रोत्साहन प्रदान कर रही है; और
(घ) यदि हाँ, तो केंद्र स्तर पर तथा विशेष रूप से त्रिपुरा के लिए लागू राज सहायता योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): जी हां, सरकार त्रिपुरा राज्य सहित पूरे देश में निम्नलिखित योजनाओं को लागू करके इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और उनकी चार्जिंग अवसंरचना को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है:

(i) **भारत में इलेक्ट्रिक (और हाइब्रिड) वाहनों के तीव्र अंगीकरण और उनके विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए (फेम इंडिया) स्कीम:** फेम इंडिया स्कीम का दूसरा चरण 5 वर्षों की अवधि के लिए यानी 01.04.2019 से 31.03.2024 तक 11,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लागू किया गया था।

(ii) **भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (पीएलआई-ऑटो):** भारत सरकार ने उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण

क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से 23.09.2021 को ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ इस स्कीम को मंजूरी दी। इस स्कीम में घरेलू स्तर पर एएटी उत्पादों, जिनमें न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) वाले इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं, के उत्पादन को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव है।

(iii) **राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम के तहत उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम:** सरकार ने 12.05.2021 को देश में एसीसी के विनिर्माण के लिए पीएलआई स्कीम को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी। इस स्कीम का उद्देश्य 50 गीगावाट घंटे की एसीसी बैटरी के लिए एक प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।

(iv) पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम: 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली यह स्कीम 01.04.2024 से 31.03.2028 तक लागू की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-ट्रक, ई-बस और ई-एम्बुलेंस सहित इलेक्ट्रिक वाहनों को समर्थन देना है। इस स्कीम में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों को समर्थन देना और परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन करना भी शामिल है। इस स्कीम के तहत, ई-दुपहिया, ई-तिपहिया (ई-रिक्शा और ई-कार्ट), ई-तिपहिया (एल5), ई-ट्रक और ई-एम्बुलेंस के खरीदारों (उपभोक्ताओं/अंतिम उपयोगकर्ताओं) को इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के समय अग्रिम मूल्य में कमी के रूप में मांग प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

(v) पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) स्कीम: 28.10.2024 को अधिसूचित इस स्कीम का परिव्यय 3,435.33 करोड़ रुपये है और इसका उद्देश्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती में सहायता करना है। इस स्कीम का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा भुगतान में चूक होने की स्थिति में ई-बस संचालकों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना है।

(vi) भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने की स्कीम (एसपीएमईपीसीआई): यह स्कीम भारत में इलेक्ट्रिक कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 15.03.2024 को अधिसूचित की गई थी।

हालांकि, उपर्युक्त स्कीमों में से किसी में भी राज्यवार आवंटन नहीं किया गया है।

चार्जिंग अवसंरचना:

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना एक बिना लाइसेंस वाली गतिविधि है और निजी उद्यमी भी इस गतिविधि में भाग ले सकते हैं। विद्युत मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों सहित अन्य स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग को मजबूत करने के लिए 17.09.2024 को "इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश-2024" जारी किए। ये दिशानिर्देश बैटरी-स्वैपिंग स्टेशनों को शामिल करके एक कनेक्टेड और इंटरऑपरेबल चार्जिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हैं।

त्रिपुरा सहित अखिल भारतीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवी पीसीएस) स्थापित करने के लिए फेम-II स्कीम और पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत क्रमशः 912.50 करोड़ रुपये और 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

(ग) और (घ): जी हां, सरकार उपर्युक्त स्कीमों अर्थात् फेम-II, पीएलआई ऑटो, पीएलआई एसीसी, पीएम ई-ड्राइव स्कीम और एसपीएमईपीसीआई के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी/प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। फेम-II स्कीम, पीएम ई-ड्राइव और पीएलआई ऑटो स्कीम के तहत 26.01.2026 तक प्रदान की गई सब्सिडी/प्रोत्साहन का विवरण निम्नलिखित है:-

फेम-II

खंड	**प्रोत्साहन प्राप्त वाहनों की संख्या**	**संवितरित प्रोत्साहन राशि (करोड़ रुपये में)**
ई-दुपहिया	14,28,882	4911.81
ई-तिपहिया	1,64,718	1109.86
ई-चौपहिया	22,615	536.52
कुल	**16,16,215**	**6,558.19**

इसके अलावा, फेम-II स्कीम में राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू)/सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) की 6,862 ई-बसों को 3,135.5 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ और 9,159 ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (ईवी पीसीएस) को 912.50 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ समर्थन देने के लिए अनुदान भी शामिल है।

भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किसी भी स्कीम में राज्यवार आवंटन नहीं है।

फेम-II स्कीम के अंतर्गत आने वाले खंड	**ई-दुपहिया**	**ई-तिपहिया**	**ई-चौपहिया**	**कुल**

त्रिपुरा में समर्थित वाहनों की संख्या	234	7,522	7	7,763

फेम-II स्कीम के तहत **त्रिपुरा राज्य में** 4 ईवीपीसीएस स्थापित किए गए हैं।

पीएम ई-ड्राइव:

तालिका: पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत 01.04.2024 से 27.01.2026 तक की अवधि के दौरान प्रदान की गई कुल सब्सिडी का विवरण

खंड	**स्कीम के तहत प्रोत्साहन दिए जाने वाले वाहनों की लक्षित संख्या**	**प्रोत्साहन प्राप्त वाहनों की संख्या**	**परिव्यय (करोड़ रुपये में)**	**संवितरित प्रोत्साहन राशि (करोड़ रुपये में)**
ई-दुपहिया	24,79,120	14,31,067	1,772	1,177.24
ई-तिपहिया (ई-रिक्शा और ई-कार्ट)	39,034	3,602	50	5.80
ई-तिपहिया (एल5)	2,88,809	2,21,600	857	668.92
कुल	**28,06,963**	**16,56,269**	**2,679**	**1,851.97**

इसके अलावा, पीएम ई-ड्राइव स्कीम में निम्नलिखित के लिए भी सहायता शामिल है:

खंड	**लक्ष्य संख्या**	**परिव्यय (करोड़ रुपये में)**
ई-ट्रक	5,643	500
ई-एम्बुलेंस	-	500
ई-बस	14,028	4,391
ईवीपीसीएस	-	2,000
परीक्षण सुविधाओं का उन्नयन	-	780
कुल		**8,171**

पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत दो चरणों में कुल 13,800 ई-बसें आवंटित की गई हैं, जिन्हें बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे और सूरत सहित चार मिलियन से अधिक आबादी वाले 7 शहरों में तैनात किया जाएगा। ई-बसों की तैनाती के पहले चरण के तहत 10,900 ई-बसों के लिए निविदा प्रक्रिया

सीईएसएल द्वारा पहले ही पूरी कर ली गई है। ई-बसों की तैनाती के दूसरे चरण के तहत 2,900 ई-बसों की तैनाती के लिए ई-बस ऑपरेटरों के चयन हेतु सीईएसएल द्वारा 09.01.2026 को निविदा जारी की गई है।

पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत आने वाले खंड	**ई-दुपहिया**	**ई-तिपहिया (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) और ई-तिपहिया (एल5)**	**कुल**
त्रिपुरा में समर्थित वाहनों की संख्या	**526**	**11,261**	**11,787**

पीएलआई-ऑटो:

पीएलआई ऑटो स्कीम के तहत, 26.01.2026 तक स्वीकृत आवेदकों को संचयी प्रोत्साहन के रूप में 2,377.56 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं, जिसमें से 2,319.88 करोड़ रुपये ईवी निर्माताओं (ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-चौपहिया और ई-बस) को संवितरित किए गए हैं। इस स्कीम के तहत प्रोत्साहन राशि का कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया गया है।

****